न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटपूतली (जयपुर)

पीठासीन अधिकारी :– जगदीश आर्य
आर.ए.एस

अपील संख्या :– 41/2021

शिम्भूदयाल पुत्र परताराम जाति माली निवासी किशोरपुरा (खटकड) तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज. स्थान हाल आबाद बूचारा तहसील पावटा जिला जयपुर (राज.)

अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पावटा जिला जयपुर (राज.)
2. कल्ली देवी पुत्री परताराम
3. प्रेम देवी पुत्री परताराम
4. तीजा देवी पुत्री परताराम
   समस्त जातियान् माली निवासी किशोरपुरा (खटकड) तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान

तरतीबी रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 12/8/2021 तहसीलदार पावटा जिससे नामा.सं. 1882 दिनांक 06/12/2020 वाके मौजा बूचारा तहसील पावटा अस्वीकार किया गया।

निर्णय

दिनांक 28.10.2021

अपीलान्ट द्वारा नामा.सं. 1882 दिनांक 06/12/2020 वाके ग्राम मौजा बूचारा तहसील पावटा जिला जयपुर के विरूद्व अपील निम्नानुसार प्रस्तुत की है, जिसमें वर्णित तथ्य इस प्रकार पेश किये हैं :–

1. यह है कि आराजी ख.नं. 1496/022 वाके मौजा बूचारा तहसील पावटा जिला जयपुर में स्थित है। उपरोक्त खसरा नम्बर 1496/0.22 वाके मौजा बूचारा तहसील पावटा का खातेदार काश्तकार अपीलान्ट का पिता परताराम पुत्र छोटूराम जाति माली निवासी किशोरपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान हाल आबाद बूचारा तहसील पावटा जिला जयपुर था।
2. यह है कि अपीलान्ट के पिता परताराम के वारिसान अपील में वर्णित सजरानुसार दो पुत्र शिम्भूदयाल व रामजीलाल जिसमें एक रामजीलाल ना औलाद फौत हो चुका है। तीन पुत्रियां कल्ली देवी, प्रेम देवी, तीजा देवी पुत्रियां परताराम है।
3. यह है कि परताराम पुत्र छोटूराम के अपीलान्ट व तरतीबी रेस्पोडेन्ट कल्ली देवी प्रेम देवी तीजा देवी व रामजीलाल जायज वारिसान् है, जिसमें से रामजीलाल अविवाहित ना औलाद फौत हो गया है। इस प्रकार परताराम पुत्र छोटूराम के अपीलान्ट व उनकी तीन बहिनों तरतीबी रेस्पोडेन्ट के अलावा कोई वारिसान् नहीं है। अपीलान्ट के पिता की मृत्यु होने के

अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)

बाद अपीलान्ट ही उपरोक्त आराजी पर काबिज काश्त है व मकानात् बनाकर परिवार सहित निवास करता आ रहा है।

4. यह है कि अपीलान्ट के पिता परताराम पुत्र छोटूराम का विरासत का नामा.सं. 1882 दिनांक 06/02/2020 को अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार पावटा ने दिनांक 12/8/2021 को मुताबिक जांच रिपोर्ट पटवारी हल्का व भू.अ.नि. द्वारा वारिसान् की पुन: जांच करने की शर्त की टिप्पणी के साथ अस्वीकार कर दिया है जिससे व्यथित होकर मान्य न्यायालय में उक्त नामा. अपील पेश की है।

5. यह है कि अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार पावटा ने प्रार्थी अपीलान्ट के बगेर सूचित किये पीठ पिछे से विधि विरूद्ध नामा.सं. 1882 दिनांक 06/12/2020 ग्राम बूचारा तहसील पावटा को अस्वीकार किया है जो स्वीकार किये जाने योग्य है।

6. यह है कि उक्त नामा. को पटवारी हल्का व गिरदावर ने अपीलान्ट को हैरान एवं परेशान करने की नियत् से रामजीलाल विवाहित होने की गलत रिपोर्ट पेश की है, जिसके आधार पर अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त नामा. को अस्वीकार किया है जबकि रामजीाल अविवाहित ना औलाद काफी समय पूर्व फौत हो चुका है।

7. यह है कि अपीलान्ट मूल रूप से खटखड किशोरपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज. का रहने वाला है। वहां पर भी अपीलान्ट के पिता परताराम पुत्र छोटूराम के नाम से कृषि भूमि थी जिसका विरासत का नामा. भी अपीलान्ट व उनकी तीन बहिनों के नाम खुला है। अपीलान्ट व उनकी तीन बहिनों का नामा. खोलते समय हल्का पटवारी व गिरदावर ने सर्म्पूण वारिसान् की जांच कर परताराम की सम्पूर्ण भूमि का अपीलान्ट एव उनकी तीन बहिनों के नाम से नामा. दर्ज किया है, जिसकी नामा. की फोटो प्रति व परताराम की फर्द मौका जांच वारिसान् व जमाबंदी फोटो प्रतियां संलग्न अपील है।

8. यह है कि खटकड पटवार हल्का खटकड तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में जो विरासत के आधार पर भूमि अपीलान्ट व उसकी बहिनों तरतीबी रेस्पोडेन्ट के नाम दर्ज हुयी है। उस भूमि में से अपीलान्ट की बहिनों ने अपना सम्पूर्ण हिस्सा अपने एक मात्र भाई शिम्भूदयाल के नाम दिनांक 06/01/2020 को हकत्याग किया है। हक त्याग के आधार पर ग्राम खटकड स्थित परताराम की सम्पूर्ण भूमि का राजस्व रिकॉर्ड अपीलान्ट के नाम दर्ज हो गया है, जिससे भी यह तथ्य साफ हो गया है कि अपीलान्ट एवं उनकी तीन बहिनों तरतीबी रेस्पोडेन्ट के अलावा परताराम के अन्य कोई वारिस नहीं है। हकत्याग की फोटो प्रति व जमाबंदी की फोटो प्रति संलग्न अपील है।

9. यह है कि अधिनस्थ न्यायालय पावटा ने अपीलान्ट के उक्त सभी दस्तावेजात् व तथ्यों को नजरअन्दाज कर उन पर बिना गौर किये तथा अपीलान्ट का उक्त नामा. अस्वीकार किया है जो गैर कानूनी विधि विरूद्ध है।

10. यह है कि अपीलान्ट का भाई रामजीलाल अविवाहित ना औलाद फौत हो गया था उसके कोई वारिसान् नहीं है मगर पटवारी हल्का एवं गिरदावर ने रामजीलाल को शादीशुदा की रिपोर्ट अपीलान्ट के परेशान करने के लिए की है। इसके आधार पर अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त नामा. अस्वीकार किया है, जो स्वीकार होने योग्य है।

11. यह है कि अपीलान्ट को गत सप्ताह नामा.सं. 1882 दिनांक 06/12/2020 की नकल लेने पर मालुम हुआ कि उक्त नामा. अधिनस्थ न्यायालय ने अस्वीकार कर दिया। कानूनी सलाह लेकर बिना देरी किये अपील मय दफा–5 मियाद अधिनियम प्रा.पत्र पेश कर दिया है।

12. यह है कि मान्य न्यायालय को अपील श्रवणाधिकार प्राप्त है। अपील उचित कोर्ट फीस पर पेश है। अतः अपील मय दफा–5 मियाद अधिनियम एवं मय शपथ–पत्र पेश कर निवेदन है कि अपीलान्ट की अपील स्वीकार फरमायी जाकर अपीलान्ट के पिता परताराम पुत्र छोटूराम का विरासत का नामा.सं. 1882 दिनांक 06/12/2020 बाबत आराजी ख.नं. 1496/0.22 ग्राम बूचारा तहसील पावटा जिसको अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार पावटा द्वारा दिनांक 12/8/2021 को अस्वीकार किया गया है उसको स्वीकार कर राजस्व रिकॉर्ड में अपीलान्ट व उनकी तीनों बहिनों तरतीबी रेस्पोडेन्ट का नाम दर्ज करने की कृपा करें।

13. अपीलान्ट द्वारा जरिये वकील अपील पेश होने पर रिपोर्ट सरिस्ता करायी गयी। रिपोर्ट समायत पायी जाने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेसपोडेन्ट की तल्बी हेतु सम्मन नोटिस जारी किये गये बाद तामील होने पर संलग्न पत्रावली किये गये।

14. बहस वकील अपीलान्ट सुनी गयी। वकील अपीलान्ट द्वारा अपील में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए अभिकथन किया गया कि अपीलान्ट का पिता परताराम पुत्र छोटूराम जाति माली निवासी किशोरपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर आराजी ख.नं. 1496/0.22 वाके मौजा बूचारा तहसील पावटा जिला जयपुर का खातेदार काश्तकार था जो फौत हो चुका है। मृत्क परताराम के दो पुत्र एवं तीन पुत्रियां जायज वारिसान् है। उनका एक पुत्र अपीलान्ट एवं तीन पुत्रियां तरतीबी रेस्पोडेन्ट है। एक पुत्र रामजीलाल पुत्र परताराम ना औलाद अविवाहित काफी समय पूर्व फौत हो चुका था। इस प्रकार मृत्क परताराम पुत्र छोटूराम के अपीलान्ट व उनकी तीन तरतीबी रेस्पोडेन्ट पुत्रियों के अलावा कोई वारिसान् नहीं है। उक्त भूमि पर पिता की मृत्यु के बाद अपीलान्ट उपरोक्त आराजी पर काबिज काश्त है एवं मकान बना रखे है। अपीलान्ट के पिता परताराम पुत्र छोटूराम का विरासत का नामा.सं. 1882 दिनांक 06/12/2020 अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार पावटा ने दिनांक 12/8/2021 को मुताबिक जांच रिपोर्ट पटवारी हल्का एवं भू.अ.निरीक्षक द्वारा वारिसान् की पुनः जांच करने की शर्त की टिप्पणी के साथ अस्वीकार कर दिया। उक्त नामा. पर पटवारी हल्का एवं गिरदावर ने मृत्क परताराम पुत्र छोटूराम के पुत्र रामजीलाल को विवाहित बताया है, जिसके आधार पर अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त नामा. को अस्वीकार किया है, जबकि मृत्क परताराम का जायन्दा पुत्र रामजीलाल पुत्र परताराम ना औलाद काफी समय पूर्व फौत हो चुका था। अपीलान्ट को परेशान करने की नियत् से पटवारी हल्का द्वारा उक्त नामा. पर गलत रिपोर्ट कर उक्त नामा. को अस्वीकार कराया है। अपीलान्ट के पिता परताराम पुत्र छोटूराम के नाम से खटकड किशोरपुरा में कृषि भूमि थी जिसका विरासत का नामा. भी अपीलान्ट एवं उनकी तीन बहिनों के नाम खुला है। पटवारी हल्का एवं गिरदावर ने मृत्क परताराम के सम्पूर्ण वारिसान् की जाच कर उक्त

प्रनि. जिला कलेक्टर
(अपील) ...

सम्पूर्ण भूमि का अपीलान्ट एवं उनकी तीन बहिनों का नामा. दर्ज किया है। विरासत के आधार पर तीन बहिनों के आयी भूमि को तीनों बहिनों ने अपना सम्पूर्ण हिस्सा अपने एक मात्र भाई के नाम दिनांक 06/01/2020 को हकत्याग किया है जो मृत्क परताराम की सम्पूर्ण भूमि अपीलान्ट के नाम दर्ज हो गयी है, जिससे साबित है कि परताराम के अपीलान्ट एवं तरतीबी रेस्पोडेन्ट के अलावा कोई वारिसान् नहीं है। उक्त दस्तावेजात् एव तथ्यों पर नजरअन्दाज कर उन पर बिना गौर किये अपीलान्ट का उक्त नामा. अधिनस्थ न्यायालय पावटा द्वारा अस्वीकार किया है जो गैर कानूनी एवं विधि विरूद्व है। अत. अपीलान्ट की अपील स्वीकार फरमायी जावें।

15. बहस पेरौकार सुनी गयी। पैरोकार सरकार द्वारा अपनी बहस में अभिकथन किया गया कि नामा.सं. 1882 दिनांक 06/12/2020 आ.ख.नं. 1496/0.22 वाके मौजा बूचारा तहसील पावटा विरासत का भरा गया है। पटवारी हल्का एवं गिरदावर की रिपोर्ट के आधार पर वारिसान् की पुनः जांच करने की शर्त पर उक्त नामा. को अस्वीकार किया है, जो न्यायोचित है। अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तु अपील को खारिज फरमाया जावें।

16. बहस उभयपक्षों की सुनी गयी । पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड एवं साक्ष्य सबूतो का अवलोकन किया तथा प्रस्तुत बहस पर मनन करने पर पाया कि नामा. सं. 1882 दिनांक 06/12/2020 बाबत आ.ख.नं. 1496/0.22 वाके मौजा बूचारा तहसील पावटा को अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार पावटा द्वारा दिनांक 12/8/2021 को अस्वीकार किया जाना पाया गया। वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत बहस में अभिकथन किया है कि अपीलान्ट के पिता परताराम पुत्र छोटूराम की मृत्यु हो चुकी है, जिनके जायन्दा दो पुत्र एवं तीन पुत्रियां है जिसमें एक पुत्र अपीलान्ट शिम्भूदयाल एवं दुसरा पुत्र रामजीलाल जो ना औलाद पूर्व में ही अविवाहित फौत हो गया था तथा तीन पुत्रियां तरतीबी रेस्पोडेन्ट कल्ली देवी प्रेम देवी तीजा देवी पुत्रियां परताराम है। इनके अलावा कोई वारिसान् नही है पटवारी हल्का ने रामजीलाल पुत्र परताराम को विवाहित होना बताया है, जबकि रामजीलाल पुत्र परताराम नाऔलाद अविवाहित फौत हो चुका है। उक्त गलत रिपोर्ट पटवारी के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त नामा. को अस्वीकार किया है जबकि अपीलान्ट के पिता के नाम से ग्राम खटकड किशोरपुरा में कृषि भूमि थी जिसका विरासत का नामा. अपीलान्ट एवं उनकी तीन बहिनों के नाम से खुला है। पटवारी हल्का एवं गिरदावर ने मृत्क परताराम के सम्पूर्ण वारिसान की जांच कर ग्राम किशोरपुरा खटकड की सम्पूर्ण भूमि का अपीलान्ट एवं उनकी तीनों बहिनों का नामा. दर्ज किया है। विरासत का नामा. दर्ज होने के उपरान्त तीनों बहिनों ने अपना सम्पूर्ण हिस्सा अपने एक मात्र भाई शिम्भूदयाल के नाम दिनांक 06/01/2020 को हकत्याग किया है। इस प्रकार सम्पूर्ण भूमि अपीलान्ट के नाम दर्ज हो गयी है। इससे साबित है कि अपीलान्ट एवं तरतीबी रेस्पोडेन्ट के अलावा मृत्क परताराम के कोई वारिसान नहीं है। उक्त दस्तावेजों एवं तथ्यों पर गौर नहीं किया गया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त नामा. बिना जांच किये ही अस्वीकार कर दिया जो विधि विरूद्व है। इसलिए उक्त नामा. सं. 1882 दिनांक 06/12/2020 बाबत आ.ख.नं. 1496/0.22 वाके ग्राम बूचारा को स्वीकार कराया जावें।

चूँकि उक्त नामा.सं. 1882 दिनांक 06/12/2020 पटवारी हल्का बूचारा द्वारा भरा गया है। पटवारी हल्का एवं गिरदावर की रिपोर्ट के आधार पर वारिसान् की पुनः जांच करने की शर्त पर उक्त नामा. को अस्वीकार किया हैं । वकील अपीलान्ट का बहस में कथन किया है कि मृत्क परताराम पुत्र छोटूराम का एक पुत्र रामजीलाल नाऔलाद अविवाहित पूर्व से ही फौत हो चुका था उसको पटवारी हल्का ने विवाहित बताया है। उक्त गलत रिपोर्ट के आधार पर उक्त नामा. को वारिसान की पुनः जांच करने की शर्त पर अधिनस्थ न्यायालय ने अस्वीकार किया है। पत्रावली के अवलोकन करने एवं प्रस्तुत दस्तावेजात् के आधार पर मृत्क परताराम पुत्र छोटूराम की ग्राम खटकड तहसील श्रीमाधोपुर सीकर में खातेदारी भूमि थी उनकी मृत्यु उपरान्त विरासत का नामा. सं. 190 दिनांक 06/9/2019 को ग्रा.पं. द्वारा 20/9/2019 को स्वीकार किया है। इसके उपरान्त अपीलान्ट की बहिनों के नाम आयी भूमि का हकत्याग दिनांक 06/01/2020 को अपने भाई शिम्भूदयाल के नाम किया जाना रजिस्टर्ड दस्तावेजात् प्रमाणित है। इससे साबित है कि मृत्क परताराम पुत्र छोटूराम के अपीलान्ट एवं तरतीबी रेस्पोडेन्ट के अलावा कोई वारिसान नहीं है। इसके उपरान्त भी पटवारी हल्का द्वारा मृत्क परताराम के एक पुत्र रामजीलाल को विवाहित बताया गया है । उक्त गलत तथ्यों के आधार पर पटवारी हल्का ने उक्त रिपोर्ट की है जिसके आधार पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त नामा. को अस्वीकार किया है जो न्याय के सिद्वान्त के विपरीत है, जबकि वकील अपीलान्ट द्वारा अपनी बहस में अपीलान्ट के भाई रामजीलाल पुत्र परताराम को नाऔलाद अविवाहित फौत होना जाहिर किया है। इसलिए अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत की गयी अपील को आंशिक स्वीकार किया जाना न्यायोचित है तथा उक्त नामा. को अपास्त किया जाकर प्रकरण प्रति प्रेषित (रिमाण्ड) तहसीलदार पावटा को किया जाना उचित एवं न्याय संगत है।

17. अतः-उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार की जाकर नामा.सं. 1882 दिनांक 06/12/2020 अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार पावटा द्वारा अस्वीकार दिनांक 12/8/2021 को अपास्त किया जाता है तथा तहसीलदार पावटा को प्रकरण प्रति प्रेषित (रिमाण्ड) किया जाकर आदेश दिया जाता है कि मृत्क परताराम पुत्र छोटूराम के सम्पूर्ण वारिसान् की जांच कर नियमानुसार अपीलान्ट एवं तरतीबी रेस्पोडेन्ट के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद की कार्यवाही करें।

18. निर्णय आज दिनांक 28.10.21 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)